न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 01/2017 (223 आरटीए) नरसिंगाराम बनाम बगडू वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00077)

नरसिंगाराम पुत्र श्री मुगाराम जाति बिश्नोई निवासी गोदाणा भींयासर, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 बगडू पुत्र पांचाराम,

2 मोहनी पत्नी बाबूराम

जातियान बिश्नोई निवासीगण गांधीसागर (भींयासर) तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

3 श्री तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 16.06.2016 राजस्व वाद सं. 142/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई।

2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.आर. मेघवाल।

3 रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 14.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व वाद सं. 142/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के

14/5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से राजस्व वाद सं. 142/2015 प्रस्तुत किया कि रेस्पो. सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि खेत खसरानं. 301 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नं. 301/1 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम गोदाणा तहसील फलोदी में आई हुई है। राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. 301/1 अपीलांट व बलवंताराम की थी, बलवंताराम द्वारा आधा हिस्सा रेस्पो. सं. 2 को बेचान कर दिया। इस प्रकार वादीगण के पास कुल 14 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 3/4 हिस्सा व अपीलांट के पास 1/4 हिस्सा है। अपीलांट का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पो. सं. 1 व 2 का 3/4 हिस्सा है तथा उसी अनुसार मौके पर नजरी नक्शे अनुसार काबिज व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। संयुक्त खातेदारी की भूमि में पक्षकारों के मध्य विवाद होने के कारण बंटवारे का व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद अधीनस्थ न्यायायलय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सूचना के ही व हिस्से तय किए बिना ही राजस्व कैंप में वाद को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2016 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दिनांक 02.11.15 को अपीलांट के अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया व पत्रावली जबाब में चल रही थी। इसी दौरान पत्रावली को दिनांक 16.06.2016 को बिना सूचना के कैंप कोर्ट भींयासर ले जाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं मिल पाया, अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसके बावजूद राजस्व कैंप में प्रकरण का निस्तारण कर

14/5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिया गया जो निस्तारण लोक अदालत की भावना के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। प्राथमिक डिक्री में हिस्से तय किए बिना ही बंटवाड़ा किए जाने की डिक्री पारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। इस प्रकरण में जबाब दावा पेश नहीं हुआ, तनकीयात कायम नहीं की गई व पक्षकारों के मध्य कोई राजीनाम भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ही दावे को डिक्री कर दिया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुई देरी को माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार करने का भी निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.आर. मेघवाल ने बहस में कथन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से कैंप कोर्ट में निस्तारित किया है। प्रकरण में अपीलांट को जबाब दावा पेश करने के कई अवसर दिए फिर भी उनके द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुसार ही पारित की है। अपील अपीलांट खारजि करने का निवेदन किया।

6 रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुए बिलंब को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण प्रतिवादीगण के जबाब में चल रहा था। बिना जबाब के ही एवं बिना सूचना तथा पक्षकारों के मध्य बिना सहमति के प्रकरण को लोक अदालत में ले जाकर मैरिट पर निर्णित कर दिया है जो न तो लोक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत की भावना के अनुसार है और न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकार का निर्णय कानूनी निर्णय की श्रेणी में नहीं माना जा सकता।

9 प्रकरण में जबाब दावा, तनकीयात व साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है तथा प्राथमिक डिक्री में हिस्सों का निर्धारण भी करना होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना पारित किया जाना पाया जाता है जो निरस्त योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किए जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2016 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जबाब दावा लेकर तनकीयात कायम की जावें तथा पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की जावे।

14/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/5/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर